क्या कर सकते हैं आप

कोई भी वह महिला जो घरेलू हिंसा से ग्रस्त है तो वह सीघा अदालत में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने स्वयं, वकील या किसी सामाजिक संस्था अथवा संरक्षा अधिकारी की मदद से अपनी सुरक्षा के लिये मजिस्ट्रेट से निर्देश ले सकती है।

कोई भी व्यक्ति (पड़ौसी) परिवार का सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त, सामाजिक सस्थाएं या फिर खुद संरक्षा अधिकारी महिला की सहमति से उसके दावे के बारे में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकती है।

कानून क्या करेगा।

इस कानून के तहत घरेलू हिंसा को रोकने के लिये मजिस्ट्रेट को तीन दिन के अन्दर आदेश देना होगे। इस कानून में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह दोषी व्यक्ति को महिला से मिलने पर या उसके आश्रय स्थान पर जाने से रोक लगा सकता है साथ ही एक अन्तरिम आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता है, जिसमें उस व्यक्ति को पीड़ित महिला पर हिंसा करने से रोका जा सकता है।

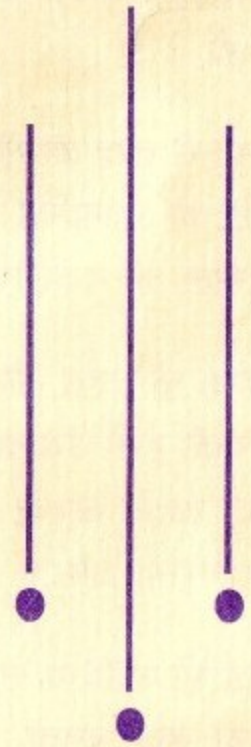

घरेलू हिंसा से सम्बन्धित जानकारी के लिये इस पते पर सम्पर्क करें -

संगिनी जेन्डर रिसोर्स सेन्टर,
जी-3/385, गुलमोहर कालोनी, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 0755 - 4276158
फैक्स : 0755 - 4279777
मोबाईल : 09893192340
ई-मेल : sangini_center@yahoo.com /
sanginicenter@rediffmail.com

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा से मुक्त जीवन
हर औरत का अधिकार

संगिनी
जेन्डर रिसोर्स सेन्टर
मध्यप्रदेश

क्या हैं यह कानून ?

यह हमारे देश का पहला ऐसा कानून है, जो घरों के भीतर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को अपराध की श्रेणी में रखता है। यह कानून दोषी लोगों को उनके द्वारा किये अपराधों के लिए कानूनी रूप से तय सजा के प्रावधान की बात करता है। इस कानून में महिला की ससुराल व मायके दोनों में रहने के अधिकार की बात की गयी है।

यह कानून घरो में होने वाली हिंसा को महिलाओं के मानवाधिकार हनन के रुप में लेने की बात करता है। इस कानून के तहत की घरेलु हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी केन्द्र व राज्य सरकारों को दी गई है।

हिंसा यानि क्या ?

★ घरेलू हिंसा यानि ऐसा कोई भी व्यवहार, जो महिला के स्वास्थ्य या उसके शरीर के चोट पहुचायें, जिससे उसके जीवन की सुरक्षा को खतरा पहुँचें।

★ ऐसा कोई भी व्यवहार जो स्त्री अथवा उसके नातेदार को दहेज अथवा अन्य सम्पत्ति व बहुमूल्य वस्तुओं के लिये तंग करता हो या महिला को नुकसान पहुँचाता हो, उसे शारीरिक रुप से क्षति या खतरा पहुँचाता हो ।

★ ऐसा किसी भी तरह का यौनिक व्यवहार जो कि महिला को अपमानित करता हो, उसके आत्म–सम्मान को तकलीफ पहुँचाता हो।

★ घरेलू हिंसा के तहत औरतों का अपमान करना उसकी हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, गली देना, सतांन अथवा बेटा न होने पर तिरस्कृत करना, अपराध माना गया है।

★ ऐसा कोई भी आर्थिक संसाधन जिस पर महिला का हक बनता हो, उससे उसे वंचित करना।

★ घरेलु संसाधन व सुविधाएं जिस पर महिला का अधिकार बनता हो, या उसके बच्चों का हक बनाता है जैसे कि घरेलू आवश्यकतायें, सुविधाएँ, स्त्रीधंन अथवा सयुंक्त सम्पत्ति एंव भरण पोषण का साधन आदि से महिला व उसके बच्चों को वंचित किया जाय इसे घरेलू हिंसा की श्रेणी में माना गया है।

इस कानून से औरतों को मिलने वाली मदद।

इस कानून के तहत यदि कोई महिला घर के किसी भी भाग में जहाँ वह निवास करती है, उसे उस घर में रहनें के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। चाहे उसके पास उस घर का स्वामित्व हो या न हो। इसी तरह कोई व्यक्ति वह मकान बेच नहीं सकता है ना ही उसे किसी और को हस्तांतरित कर सकता है। यदि महिला को उस पुरूष से खतरा हो तो मजिस्टेट उस व्यक्ति को घर से बाहर रहने का आदेश भी दे सकता है।

इस कानून के तहत महिला को आर्थिक सहायता का प्रावधान भी रखा गया है। जैसे हिंसा के कारण उसकी सम्पत्ति, उसकी चिकित्सा में जो खर्च आया है, उसकी पूर्ति, उसकी सम्पत्ति उसकी कमाई मे आए नुकसान की क्षतिपूर्ति तथा जीवन निर्वाह के लिये भत्ता राशि की बात भी इस कानून में की गई है। जिसमें हिंसाकर्ता को महिला व बच्चों दोनों का खर्चा देना होगा साथ यदि महिला चाहें तो 18 साल से नीचे बच्चों का संरक्षण भी महिला को मिलेगा।

इस कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि महिला के साथ हुई घरेलू हिंसा के साक्ष्य पुष्ट किये जाये, यह जरुरी नहीं है। यदि महिला के खुद के साक्ष्य विश्सनीय हैं तो उसके साक्ष्यों पर न्यायालय विश्वास कर सकता है, क्योंकि घर के अन्दर हुई हिंसा के साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है।